संख्या:97/2020/2887 ई-2/तेरह-2019-74/2016टी.सी.

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 31 दिसम्बर, 2020

विषय: मेसर्स मालब्रोस इन्टरनेशनल प्रा. लि., ग्राम-भटियुरा पृथीपुर, ब्लाक-निगोही, तहसील-तिलहर, जनपद शाहजहांपुर 129 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता की शीरे पर आधारित मिश्रित (पेय/औद्योगिक) आसवनी स्थापित किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-56/दो-प्रा.डी.-213/मालब्रोस, दिनांक 12.11.2020 तथा इस सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 17.12.2020 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित निर्गत कार्यवृत्त पत्र संख्या-2297 ई-2/तेरह-2020-74/2016टी.सी., दिनांक 21.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्वहित में मेसर्स मालब्रोस इन्टरनेशनल प्रा. लि., ग्राम-भटियुरा पृथीपुर, ब्लाक-निगोही, तहसील-तिलहर, जनपद शाहजहांपुर को 455 लाख लीटर अधिष्ठापित क्षमता की शीरे पर आधारित आसवनी के अन्तर्गत 129 लाख लीटर पेय मदिरा एवं शेष औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन एवं विक्रय किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवा संशोधन) नियमावली, 2019 एवं उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना)(पन्द्रहवा संशोधन) नियमावली, 2020 में उल्लिखित की शर्तों का पालन किया जायेगा। साथ ही साथ इकाई द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से नियमानुसार इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in